

16/9/19

पत्रावली पैरा 3
पत्रावली अधिकारी प्रदीप प्रमाण/अवकाश
में पत्रों को अतः पत्रावली नम्बर
दिनांक 21/10/2019 को रखा है।
सहायक सचिव

21-10-2019

वादी एव वकील वादी अनुपास्थित
वकील प्रतिवादीगण उपास्थित। वादी एवम
वकील वादी को तीन बार, बार-बार
आवाज लगाई गई बावजूद इसके वादी
मथ वकील अनुपास्थित। अतः वाद वादी
अन्तर्गत धारा 53, 188, 92A राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण
अदम हाजरी, अदम पैरवी में श्रायीज
किया जाता है पत्रावली पैरा 3
द्वारा नम्बर से कम है।

सहायक सचिव
(S.D.O.) राजी